शीषक: **कलेशन पॉलसी**

पॉलसी और उय:

कलेशन पॉलसी का मकसद NewYork-Presbyterian/Queens मअशोय कजको कम करते हुए मरज क गुणवतापूण वाय देखभाल तक पहुंच को मजबूत करना है।

यह पॉलसी हॉपटल और एजसय के लए कजवसूल संबंधी गतवधय मशामल होना अनवायबनाता है, जो हॉपटल क चैरट केयर पॉलसी (आगे से चैरट केयर पॉलसी) सहत, लेकन इस तक सीमत नह, हॉपटल के कोर मशन, मूय और सभी सांत के अनुकूल हो।

उपयुतताः

यह पॉलसी हॉपटल और कसी भी दूसर एजसी, वकल, या मरज के बकाया कजको वसूलने ममदद करने वाले कानूनी फमपर लागू होती है।

याः

A. सामाय दशानदश

1. फेयर डेट कलेशन टस एट (FDCPA), फेयर डट बलंग एट, कंयूमर डट टेशन एट, पलक हेथ लॉ सेशन 2807-k-9-a, इंटरनेशनल रेवेयू सवस कोड 501(r), यूयॉक सवल टस लॉ एंड स कधारा 52, और हेथ इयोरस पोटबलट एंड अकाउंटेबलट एट (HIPAA) सहत, लेकन इन तक सीमत नह, कजवसूल का संचालन करते हुए हॉपटल, वसूल एजसी और वकल तथा कानूनी फम(आउटसाइड काउंसल) सभी लागू संघीय और राय कानून और मायता त एजसी का पालन करग। हॉपटल, एजसी और आउटसाइड काउंसल भी हॉपटल क चैरट केयर पॉलसी का पालन करग। हॉपटल क कलेशन पॉलसी और चैरट केयर पॉलसी के बीच कसी तरह क असंगतता क थत मचैरट केयर पॉलसी का भाव और नयंण होगा।

---

2. हॉस्पिटल किसी तीसरे पक्ष (एजेंसी या आउटसाइट काउंसिल) के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी लिखित समझौता कर सकता है जिसको वह व्यक्ति का कर्ज बताता है जो देखभाल के लिए भुगतान लेने के लिए उचित रूप से असाधारण वसूली कारवाई (ECA) को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जब तक कि इस बात को निर्धारित करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए जाते कि चैरिटी केयर के लिए व्यक्ति योग्य है या नहीं।

B. कलेक्शन पॉलिसियां जो हॉस्पिटल और अधिकृत संस्थाएं जो इस्तेमाल कर सकते हैं:

1. ECA किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हॉस्पिटल सुविधा की ओर से की गई कारवाई है जो आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501 (r) में परिभाषित वित्तीय सहायता नीति की हॉस्पिटल की सुविधा के तहत दी जा रही देखभाल के लिए भुगतान हासिल करता है। इस कलेक्शन पॉलिसी की आवश्यकताओं से संगत, हॉस्पिटल केवल निम्नलिखित ECA को शामिल कर सकता है:
   a. सिविल कारवाई शुरू करें,
   b. संपत्ति पर अधिकार रखे,
   c. बैंक खाता या कोई निजी संपत्ति को जब्त या संलग्न करे,
   d. गार्निश मजदूरी
   e. सम्मन जारी करने वाले विवादास्पद मुद्दे।

2. हॉस्पिटल, एजेंसी और आउटसाइड काउंसिल को, बिना इस बात को तय करने की उचित कोशिश किए बगैर कि मरीज चैरिटी केयर के लिए योग्य है या नहीं है, ECA के खिलाफ किसी भी उस मरीज या व्यक्ति के साथ शामिल नहीं होना चाहिए जिसने केयर के लिए केयर से जुड़े मरीज के हॉस्पिटल बिल की वित्तीय जिम्मेदारी स्वीकार कर रखी है, या स्वीकारने की जरूरत है।

3. हॉस्पिटल, एजेंसी, या आउटसाइड काउंसिल पूर्व चैरिटी केयर पात्रता निर्धारण के अनुसार किसी तीसरे पक्ष की सूचना के अनुमानित आधार पर किसी व्यक्ति की पात्रता का निर्धारण कर सकता है। किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले केयर के संबंध में, इस बात को तय करने के उचित प्रयास के क्रम में कि व्यक्ति चैरिटी केयर के लिए योग्य है, या नहीं, हॉस्पिटल और एजेंट या आउटसाइड काउंसिल, जो भी लागू है, इस बात को निर्धारित कर सकते हैं कि व्यक्ति पूर्व चैरिटी केयर पात्रता निर्धारण या व्यक्ति द्वारा सौंपी गई सूचना के आधार पर योग्य है। इसके अलावा, यदि व्यक्ति चैरिटी केयर पॉलिसी के तहत आमतौर पर उपलब्ध सबसे उदार सहायता के लिए अनुमानित रूप से न्यूनतम तौर पर भी योग्य निर्धारित कर दिया गया है:

---

a. अनुमानत चैरट केयर पाता नधारण के आधार के संबंध म यित को और चैरट केयर पॉलसी के तहत उपलध अधक उदार सहायता के लए आवेदन के तरके को सूचत कर;

b. यित को उचत समय सीमा दगई, जो इसके भीतर देखभाल के लए मरज को दगई बकाया रयायती राश को ात करने के लए ECA कशुआत करने से पहले अधक उदार सहायता का आवेदन करने के लए है;

c. यद यित चैरट केयर पॉलसी, हॉपटल, एजसी, या आउटसाइड काउंसल, जो भी लागू हो, के तहत आवेदन अवध के दौरान अधक उदार सहायता कतलाश म दए गए पूण चैरट केयर आवेदन तुत करे, तो इससे ये बात तय होगी क वो यित अधक उदार छूट के योय है या नहं और अयथा लागू होने वाल सभी मांग को पूरा करे।

4. कसी भी ECA हॉपटल से जुड़ने से पहले यित को चैरट केयर पॉलसी के बारे म, खासकर मरज को उसके हॉपटल से डचाज कए जाने के बाद के बलंग टेटमट वाल तारख से 120 दन पहले अधसूचना अवध के दौरान, सूचत करने का उचत यास हो। यद ऐसे उचत यास कए गए जाने के बाद, यित चैरट केयर , हॉपटल, एजसी या आउटसाइड काउंसल, जो भी लागू हो, के लए आवेदन प तुत करने म असफल हो जाए तो वह इस पॉलसी (देख या A1) वारा वशट प से अनुमत ात ECA म शामल हो, जबक हॉपटल कम से कम 30 दन पहले नननलखत कारवाई करेगा ताक इस पॉलसी वारा अनुमत ात ECA का अनुसरण कया जा सके:

a. यितय को लखत नोटफकेशन मुहैया कराएं, जो योय यितय को उपलध चैरट केयर के बारे म बताए, उन ECA को परभाषत करे जो हॉपटल या दूसर अधकृत पाटयां केयर का भुगतान हासल करने के लए शु करना चाहती ह, और अंतम तारख बताएं जिसके बाद ऐसे ECA को शु कया जा सके। वह अंतम समय सीमा लखत नोटस दए जाने क तारख के 30 दन के बाद से पहले न आए;

b. ऊपर के सेशन B4a म दए गए नोटफकेशन के साथ चैरट केयर सारांश (समर) क कॉपी तुत कर;

c. चैरट केयर पॉलसी के बारे म यित को सूचत करने और यित और हॉपटल के बीच बलंग क शुआत होने के बाद कसी भी तरह के टेलफोन संवाद के दौरान चैरट केयर आवेदन के साथ सहायता कैसे पाई जाए इसे बताने का उचत यास कर;

d. यद यित ने अधूरा चैरट केयर आवेदन तुत कया है तो उह लखत नोटस क मदद से जर जानकारयां और/या दतावेज, जिह संपक सूचना सहत चैरट केयर आवेदन को पूरा करने के लए तुत करना जर है, उपलध कराएं;

---

   e. एक बार □य□त के चै□रट□ केयर पॉ□लसी के अनुसार पूण□ चै□रट□ केयर आवेदन □□तुत कर □दए जाने के बाद चै□रट□ केयर पा□ता के □नधा□रण का एक द□तावेज तैयार करना।

5. हॉ□पटल, एज□सी या आउटसाइड काउं□सल, जो भी लागू हो, म□से □कसी म□शा□मल होने से पहले, मे□डकेयर और मे□डकेड जैसे बीमा काय□ म□, भुगतान के दूसरे साधन□, चै□रट□ केयर स□हत सरकार□ काय□ म□के □लए □य□त क□ पा□ता का मू□यांकन □कया जाएगा।

6. हॉ□पटल, एज□सी और आउटसाइड काउं□सल □ब□लंग और कले□शन □□ या के दौरान □कसी भी समय चै□रट□ केयर आवेदन □वीकार करेगी। एक बार ECA क□ शु□आत हो जाने के बाद या उस दौरान य□द □य□त अधूरा आवेदन □□तुत करता है तो हॉ□पटल, एज□सी और आउटसाइड काउं□सल, जो भी लागू हो, ऐसे ECA को तब तक के □लए र□ कर देगा जब तक □क ये तय न हो जाए □क □य□त ऐसे चै□रट□ केयर के यो□य है और अ□यथा इस पॉ□लसी और चै□रट□ केयर पॉ□लसी क□ ज□रत□ को पूरा करता है।

7. अगर एक □य□त आवेदन अव□ध (यानी □ब□लंग और कले□शन च□) के दौरान पूण□ चै□रट□ केयर आवेदन □□तुत करता है तो हॉ□पटल, एज□सी और आउटसाइड काउं□सल, जो भी लागू हो, ये तय करने क□ उ□चत □यास करेगा □क □या □य□त यो□य है और □न□न□ल□खत □□ या अपनाएगा:

   a. इस कले□शन पॉ□लसी के अनु□ प देखभाल के □लए भुगतान पाने हेतु □कसी ECA को □थ□गत करेगा;

   b. इस बात का □नधा□रण करे □क □य□त चै□रट□ केयर के □लए यो□य है, या नह□ और हॉ□पटल के संक□प के आधार पर तथा इस पा□ता के संक□प (य□द लागू हो, उस सहायता स□हत जिसके □लए □य□त यो□य है) के बारे म□ □ल□खत □ प से सू□चत करे;

   c. य□द हॉ□पटल, एज□सी या आउटसाइड काउं□सल, जो भी लागू हो, तय करता है □क □य□त दूसरे □नशु□क केयर सु□वधाओं के अलावा चै□रट□ केयर के □लए यो□य है तो हॉ□पटल □न□न□ल□खत काय□ करेगा:

      (i) हॉ□पटल □य□त को □ब□लंग □टेटम□ट मुहैया कराएगा जिससे केयर के □लए □य□त को □कतनी रकम अदा करनी है और वो रकम □कस तरह तय क□ गई है, पता चलेगा या □व□तार से बताएगा □क □य□त आमतौर पर केयर के □लए बनाए गए □बल (AGB) के संबंध म□ जानकार□ कैसे □□त कर सकते ह□;

(ii) यदि व्यक्ति ने देखभाल (चाहे वो हॉस्पिटल हो, या कोई दूसरा पक्ष जिसे हॉस्पिटल ने केयर के लिए व्यक्ति के कर्ज को रेफर कर दिया हो) के लिए किसी भी तरह का भुगतान किया हो जो $5.00 से अधिक हो और जिसके लिए वो व्यक्ति निजी तौर पर जवाबदेह मानता/मानती है, तो उसे लौटा दें (या नोटिस द्वारा तय की गई कोई अन्य रकम या लागू आंतरिक राजस्व बुलेटिन में प्रकाशित कोई मार्गदर्शन);

(iii) केयर के लिए भुगतान हासिल करने में व्यक्ति के खिलाफ उठाए गए किसी भी ECA को पलटने के लिए सभी संभव और उपलब्ध उपाय अपनाएं। ऐसे उपाय आमतौर पर निम्नलिखित उपायों में शामिल तो होते हैं, लेकिन इन उपायों तक सीमित नहीं होते: (a) व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह के फैसले को रद्द करना, (b) दूसरे वैध अधिकार या लेवी (उन हॉस्पिटल के अलावा जो राज्य कानून के अंतर्गत किसी फैसले की प्राप्तियां, निपटारा या किसी लेनदार (या उसके प्रतिनिधि) से समझौता हॉस्पिटल द्वारा प्रदत्त देखभाल के लिए व्यक्तिगत दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप, (c) व्यक्ति के क्रेडिट रिपोर्ट से किसी भी तरह की प्रतिकूल जानकारी को हटा दें जिसकी सूचना उपभोक्ता रिपोर्टिंग एजेंसी या क्रेडिट ब्यूरो से मिली थी।

8. एजेंसी और आउटसाइड काउंसिल, जो भी लागू हो, मरीज के अकाउंट के साथ जुड़ी हुई सभी कलेक्शन गतिविधियों को स्थगित कर देगा यदि व्यक्ति को किसी भी बकाया राशि या उसकी वैधता पर विवाद (उचित हॉस्पिटल विवाद समाधान प्रक्रियाओं के अनुसार) हो। मरीज का खाता तब तक स्थगित रहेगा जब तक हॉस्पिटल ये तय न कर ले कि कलेक्शन की कोशिश फिर से शुरू हो सकती है। एजेंसी या आउटसाइड काउंसिल को किसी वैसे व्यक्ति के खिलाफ कलेक्शन की गतिविधि में नहीं शामिल होना चाहिए जिसके बारे में एजेंसी या आउटसाइड काउंसिल को दिवालिया होने का कोई नोटिफिकेशन मिला हो।

9. एजेंसी या आउटसाइड काउंसिल हॉस्पिटल से बिना कोई पूर्वलिखित अनुमति प्राप्त किए समन जारी किए जाने सहित और किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है।

C. प्रतिबंधित कलेक्शन रीतियां। हॉस्पिटल, कलेक्शन एजेंसी और आउटसाइड काउंसिल:

1. बकाया कर्ज के भुगतान के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्राथमिक आवास की बिक्री या फौजदारी के लिए मजबूर नहीं करेगा।

2. कलेक्शन एजेंसी को बिल नहीं भेजेगा जबतक हॉस्पिटल को प्रस्तुत पूर्ण चैरिटी केयर आवेदन (किसी भी समर्थित दस्तावेजीकरण सहित) का निर्धारित होना लंबित है।

---

3. वैसे व्यक्ति से कलेक्शन की स्वीकृति नहीं देगा जो सेवाएं प्रदान किए जाने के वक्त मेडिकेड के लिए योग्य था और जिसके लिए मेडिकेड पेमेंट उपलब्ध है, बशर्ते व्यक्ति ने ऐसी सेवाओं के संदर्भ में मेडिकेड के लिए पूर्ण आवेदन भेज दिया हो।

4. व्यक्तिगत कर्ज को किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेचेगा।

5. क्रेडिट एजेंसी को प्रतिकूल सूचना नहीं देगा। हालांकि, चैरिटी केयर पॉलिसी के अनुरूप, क्रेडिट एजेंसी को चैरिटी केयर के लिए अनुमानित पात्रता के संबंध में सवाल किए जा सकते हैं।

D. निर्णय बाद कार्रवाइयां। आउटसाइड काउंसिल:

1. केस के बाद केस के आधार पर फैसले का मूल्यांकन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक "ब्लाइंड" स्वीप की इजाजत नहीं है और इसे क्रियान्वित नहीं किया जाएगा।

2. व्यक्ति की गिरफ्तारी या किसी संलग्न निकाय के लिए याचिका का विषय होने का कारण नहीं बनेगा।

3. हॉस्पिटल से बिना पूर्व अनुमति के पांच साल के बाद किसी भी फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

4. हॉस्पिटल के बिना पूर्व अनुमति के फैसले की तारीख से पांच साल बाद व्यक्ति के खिलाफ फैसला लागू नहीं होगा।

5. हॉस्पिटल के बिना पूर्व अनुमति के व्यक्ति के खिलाफ फैसले को दोहराया नहीं जाएगा।

6. हॉस्पिटल के बिना पूर्व अनुमति व्यक्ति के खाते को किसी दूसरी कलेक्शन एजेंसी या कानूनी फर्म को नहीं सौंपा जाएगा। कर्ज के लिए कवरेज या भुगतान को चिह्नित करने के सभी जरूरी प्रयास को खंगालने के बाद और हॉस्पिटल से लिखित अनुमति मिलने पर, एजेंसी संभावित कानूनी कार्रवाई को देखते हुए आउटसाइड काउंसिल को उचित खातों के बारे में बता सकती है। व्यक्ति का उचित खाते का कम से कम $800 या ऐसी ही किसी दूसरी बड़ी शुरुआत का होना जरूरी है क्योंकि संभव है कि हॉस्पिटल आउटसाइड काउंसिल को संपर्क करने के लिए समय-समय पर लिखे। आमतौर पर अकाउंट का रेफरल एजेंसी की ओर से खातों की प्राप्ति के छह महीने के बाद तक नहीं होना चाहिए।

7. लागू कानून की जरूरत के अनुरूप, ये कलेक्शन पॉलिसी और हॉस्पिटल की चैरिटी केयर पॉलिसी, निरोधक सूचना के साथ सूचना समन जारी करेगी:

    a. बैंक को;

    b. रोजगार की जगह को;

---

c. □ □डट काड□और कंप□नय□को; और/या

d. बंधक कंप□नय□को

8. इस कले□शन पॉ□लसी और चै□रट□ केयर पॉ□लसी क□आव□यकताओं के अधीन, टै□स डेफड□या तुलनीय सेवा□नवृ□त बचत खात□को छोड़कर □य□त के बक□ खाते के □खलाफ संप□त □न□पादन जार□कर सकता है। य□द कोई आउटसाइड काउं□सल से संपक□करता है और □शकायत करता है तथा संप□त □न□पादन के कारण □व□तीय □द□कत□का उ□चत सबूत पेश करता, तो आउटसाइड काउं□सल कार□वाई क□□□ या को रोक देगा और □कसी भी तरह के हॉ□पटल के दावे से छुटकारा □दलाएगा।

9. इस कले□शन पॉ□लसी और चै□रट□ केयर पॉ□लसी क□आव□यकताओं के अधीन, □यूयॉक□□टेट कानून के अनु□प □य□त क□मजदूर□के 10 □□तशत तक क□सीमा तक □य□त को आय □न□पादन जार□कर सकता है। आउटसाइड काउं□सल □य□त के जीवनसाथी को संप□त □न□पादन जार□करने के □लए अ□धकृत नहं□ है।

<u>जि□मेदार□</u> रोगी □व□तीय सेवाएं

<u>पॉ□लसी तार□ख</u>:

नया: अ□टूबर 2015

अनुमोदन: □□ट□बोड□